प्रेस नोट –

थाना मोठ (झाँसी)

दिनांक 30.08.2024

लूट की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में 04 बदमाश गिरफ्तार, लूट एवं चोरी के माल सहित अवैध तमंचा - कारतूस बरामद

थाना मोठ पुलिस टीम द्वारा थाना मोठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 309(4) BNS बनाम अज्ञात की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ़्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए 8980/- रूपये नगद व 01 अदद पेन्डल मंगलसूत्र का पीली धातु व मंगलसूत्र का टूटा हुआ एक टुकड़ा पीली धातु का बरामद किया गया तथा थाना मोंठ पर पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2024 धारा 379/411 IPC से सम्बन्धित चोरी का माल एक जोड़ी पायल सफेद धातु व दो चूड़ी सफेद धातु बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को मा. न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.08.2024 को श्री आनन्द स्वरूप पुत्र लल्लूराम नि0 छिरावली थाना एट जिला जालौन द्वारा थाना आकर सूचना दी गयी कि दिनांक 28.08.2024 को समय करीब 16.30 बजे एट से झाँसी जाते समय दो बाइक सवार 04 लड़कों द्वारा मोठ बाईपास पर उसकी मोटर साईकिल के आगे अपनी- अपनी मोटरसाइकिलें लगा दी तथा तंमचा दिखाकर हम लोगों को डरा धमका कर मेरी पत्नी के गले में पहने सोने का मंगल सूत्र व मेरी जेब में रखे 10,000/- रुपये लूट कर ले गये। उक्त के संबंध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 215/2024 धारा 309(4) BNS बनाम अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु थाना पुलिस द्वारा अपराधियों की धड़पकड़ हेतु चेकिंग शुरू की गयी। इसी क्रम में आज दिनांक 30.08.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 28.08.2024 को दिन में मोठ बाईपास पर मो0सा0 सवार दम्पत्ति के साथ लूट करने वाले अभियुक्तगण सेमरी हाईवे बस स्टैण्ड नहर के बम्बा के पास अपनी अपनी मोटर साइकिलों के साथ अवैध असलहा लिये हैं तथा कोई घटना कारित करने की फिराक में हैं यदि जल्दी की जाय तो पकड़े जा सकते हैं।

सूचना पर थाना मोंठ पुलिस टीम द्वारा सेमरी हाईवे बस स्टैण्ड पर अभियुक्तगण की अलग-अलग दिशाओं से घेराबन्दी की गयी तथा आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया तो स्वयं को घिरता हुआ देखकर अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए चारों अभियुक्तगण को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व लूट के 8980/- रुपये नगद व 01 अदद पेन्डल मंगलसूत्र पीली धातु व मंगलसूत्र का टूटा हुआ एक टुकड़ा पीली धातु के बरामद हुए एवं दिनांक 21.05.2024 को थाना मोठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2024 धारा 379/411 IPC से सम्बन्धित चोरी का माल एक जोड़ी पायल सफेद धातु व दो चूड़ी सफेद धातु बरामद हुए। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के संबंध में चारों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 218/2024 धारा 109,3(5),221 BNS व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण को मा. न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

➢ **अभियुक्त का नाम व पता-**

1. गोकुल प्रसाद उर्फ मोनू रायकवार पुत्र परमानन्द रायकवार उम्र 23 वर्ष नि0 मु0 इटवा दरवाजा कस्वा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी
2. जितेन्द्र पिपरैया उर्फ गोलू पुत्र धर्मदास पिपरैया उम्र करीब 22 वर्ष नि0 मु0 बागवानपुरा कस्वा व थाना टोड़ीफेतहपुर जनपद झाँसी
3. गुलाब कुशवाहा पुत्र लक्ष्मी प्रसाद नि0 मु0 नजरगंज बस स्टैण्ड कस्वा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी
4. समीर शाह पुत्र रफीक शाह उम्र करीब 21 वर्ष नि0 मु0 नजरगंज बस स्टैण्ड कस्वा व थाना टोड़ी फतेहपुर जिला झाँसी

➢ **बरामदगी का विवरणः-**

1) 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2) 01 अदद तंमचा देशी 12 बोर, 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर,
3) लूट से सम्बन्धित बरामदगी 8980/- रूपये नगद व 01 अदद पेन्डल मंगलसूत्र का पीली धातु व मंगलसूत्र का टूटा हुआ एक टुकड़ा पीली धातु
4) चोरी से सम्बन्धित बरामदगी 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व 02 चूड़ी सफेद धातु
5) घटना में प्रयुक्त 01 बुलट व 01 एचएफ डीलक्स बरामद

➢ **आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-**

1. गोकुल प्रसाद उर्फ मोनू रायकवार पुत्र परमानन्द रायकवार नि0 मु0 इटवा दरवाजा कस्वा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी

1) मु0अ0सं0 77/2021 धारा 60(1) Ex Act थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झांसी
2) मु0अ0सं0 141/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना उल्दन जनपद झांसी
3) मु0अ0सं0 86/2023 धारा 380/457 IPC थाना कदवाया जिला अशोकनगर म0प्र0
4) मु0अ0सं0 132/2024 धारा 379/411 IPC थाना मोठ जनपद झाँसी
5) मु0अ0सं0 215/2024 धारा 309(4),317(2) BNS थाना मोठ जनपद झाँसी
6) मु0अ0सं0 218/2024 धारा 109, 3(5),221 BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मोठ जनपद झांसी

2. जितेन्द्र पिपरैया उर्फ गोलू पुत्र धर्मदास पिपरैया उम्र करीब 22 वर्ष नि0 मु0 बागवानपुरा कस्वा व थाना टोड़ीफेतहपुर जनपद झाँसी

1) मु0अ0सं0 132/2024 धारा 379/411 IPC थाना मोठ जनपद झाँसी
2) मु0अ0सं0 215/2024 धारा 309(4),317(2) BNS थाना मोठ जनपद झाँसी
3) मु0अ0सं0 218/2024 धारा 109, 3(5),221 BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मोठ जनपद झांसी

3. गुलाब कुशवाहा पुत्र लक्ष्मी प्रसाद नि0 मु0 नजरगंज बस स्टैण्ड कस्वा व थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झाँसी

1) मु0अ0सं0 132/2023 धारा 323/504/506 IPC व 3(2)(VA) SC/ST ACT थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झांसी
2) मु0अ0सं0 132/2024 धारा 379/411 IPC थाना मोठ जनपद झाँसी
3) मु0अ0सं0 215/2024 धारा 309(4),317(2) BNS थाना मोठ जनपद झाँसी
4) मु0अ0सं0 218/2024 धारा 109, 3(5),221 BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मोठ जनपद झांसी

4. समीर शाह पुत्र रफीक शाह उम्र करीब 21 वर्ष नि0 मु0 नजरगंज बस स्टैण्ड कस्वा व थाना टोड़ी फतेहपुर जिला झाँसी

1) मु0अ0सं0 132/2024 धारा 379/411 IPC थाना मोठ जनपद झाँसी
2) मु0अ0सं0 215/2024 धारा 309(4),317(2) BNS थाना मोठ जनपद झाँसी
3) मु0अ0सं0 218/2024 धारा 109, 3(5),221 BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना मोठ जनपद झांसी

➢ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. श्री दिनेश कुरील प्रभारी निरीक्षक थाना मोठ जनपद झांसी
2. उ0नि0 श्री अश्वनी दीक्षित थाना मोठ जनपद झाँसी
3. उ0नि0 श्री आशीष धामा थाना मोठ जनपद झाँसी
4. उ0नि0 श्री नबाब सिंह थाना मोठ जनपद झाँसी
5. हे0का0 अजमत उल्लाह थाना मोठ जनपद झाँसी
6. हे0का0 रणजीत सिंह थाना मोठ जनपद झाँसी
7. का0 767 शशांक मिश्रा थाना मोठ जनपद झाँसी
8. का0 148 राजकुमार थाना मोठ जनपद झाँसी
9. रि0का0 61 प्रतीक अवस्थी थाना मोठ जनपद झाँसी